



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : ar.affiliation@ccsuniversity.ac.in NAAC A++

Website :

www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक:-सम्बद्धता /2062/ 2026-27

दिनांक :14.08.2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

विषय:- प्रदेश के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेपटी क्लब का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ/ नोडल अधिकारी सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 के संलग्न पत्र संख्या-क्षे0का0ल0/2110-13/2026-27 दिनांक 01.08.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें जो कि शिक्षण संस्थानों में रोड सेपटी क्लब गठन करने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि आप अपने-अपने महाविद्यालय/संस्थानों में रोड सेपटी क्लब का गठन कराते हुये नवगठित/पूर्व गठित रोड सेपटी क्लब की सूचना संलग्न प्रारूप पर ऐक्सल शीट के माध्यम से ई-मेल आई0डी0 roadsafety695@gmail.com पर प्रत्येक दशा में प्रेषित करते हुये सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Shree
14/8/26

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रभारी प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
03. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कुलसचिव

प्रेषक,

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
सेक्टर-एम, आशियाना
लखनऊ।

समस्त जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश।

Urgent
A.R. (Affiliation)/Uni. Engineer

Blue
03/08/26
कुलसचिव
श्री 0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

पत्रांक: क्षे0का0ल0/2110-13/2026-27

दिनांक: 01/08/2026

विषय: प्रदेश के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब गठन का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु रोड सेफ्टी क्लब का गठन कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गए हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद के समस्त राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन कराते हुए नवगठित/पूर्व गठित रोड सेफ्टी क्लबों की जनपदवार संकलित सूची संलग्न प्रारूप पर ही केवल एक्सेल शीट में ई-मेल आई0डी0 roadsafety695@gmail.com पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण शासन की प्राथमिकता का है, आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक-उक्तवत।

भवदीय

प्रो0(अश्विनी कुमार मिश्र)

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ/
नोडल अधिकारी (सड़क सुरक्षा) उ0प्र0

पू0सं0-क्षे0का0ल0/ /2026-27, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) डिग्री विकास अनुभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रो0(अश्विनी कुमार मिश्र)

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ/
नोडल अधिकारी (सड़क सुरक्षा) उ0प्र0

रोड सेफ्टी क्लब, उत्तर प्रदेश।

सड़क सुरक्षा क्लब की उत्तर प्रदेश में स्थापना एवं संचालन के लिए आईसेफ द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित कोष प्रबन्धन समिति की दिनांक 14.08.2019 को सम्पन्न बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त, जो शासनादेश दिनांक 30.08.2019 द्वारा जारी किया गया है। उक्त कार्यवृत्त के एजेण्डा बिन्दु संख्या-2 के अंतर्गत राजस्व मद सम्बन्धी तालिका-4 के मद संख्या-9 में "कालेज/स्कूल में सड़क सुरक्षा क्लब की स्थापना एवं संचालन" के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। 31वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत दिनांक 11.01.2020 को इण्डियन रोड सेफ्टी कैम्पेन, SOLVE संस्था द्वारा क्लब की योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लांच की गयी। महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा क्लबों का संचालन परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश व उच्च शिक्षा एन.एस.एस के सहयोग से किया जायेगा। प्रदेश में लगभग 205 कालेजों में सड़क सुरक्षा क्लब संचालित हैं। प्रत्येक क्लब में कालेज के फैकल्टी कॉर्डिनेटर अथवा प्रोग्राम ऑफिसर समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे। इन क्लबों के माध्यम से सड़क सुरक्षा की तकनीक, विधिक, चिकित्सीय, जनसंचार तथा जनजागरुकता के पहलुओं पर कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य-

- विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जनमानस को जागरुक करना।
- सड़क सुरक्षा के प्रति संस्था के चयनित छात्रों को रोड सेफ्टी क्लब में नामित करना।
- नामित रोड सेफ्टी क्लब के सदस्यों द्वारा विभिन्न स्कूली छात्रों एवं समाज को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक किया जाना।

गठन-

प्रति क्लब 25 स्वयंसेवी सदस्य होंगे-

- (अ) लीडर/अध्यक्ष
- (ब) डोमेन हेड/उपाध्यक्ष
- (स) एकजीक्यूटिव/सचिव

एनएसएस की भूमिका-प्रति रोड सेफ्टी चयनित 25 सदस्यों के माध्यम से विद्यार्थियों, छात्रों एवं जनमानस को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक करना।

परिवहन विभाग से समन्वय-प्रति रोड सेफ्टी चयनित 25 सदस्य एवं एनएसएस स्वयंसेवियों के माध्यम से विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन परिवहन विभाग द्वारा।

लक्षित वर्ग-युवा एवं समुदाय

गतिविधियाँ-

- (1) क्विज एवं निबन्ध प्रतियोगिता
- (2) 02 स्कूलों एवं संस्था से सम्बन्धित अन्य फैकल्टी के छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक किया जाना।
- (3) वाद-विवाद/भाषण प्रतियोगिता।
- (4) मलिन बस्ती एवं अभिग्रहीत गोंवों में रैली एवं नूकड नाटक के माध्यम से जागरुकता

Role of Faculty Coordinator/programme officer and its members of R.S. Club Committee

(A) Faculty Coordinator/programme officer

- 1- विद्यालय में संचालित सड़क सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों का पर्यवेक्षण किया जाना।
- 2- जनपद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के साथ समन्वय स्थापित करना।
- 3- क्लब से संबंधित रिपोर्ट का प्रेषण सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश एवं प्रोग्राम कोंडिनेटर, उच्च शिक्षा, एन.एस.एस।

(B) Leader- (President)

1. एक टीम लीडर को स्नातक के द्वितीय/तृतीय वर्ष का छात्र होना चाहिए। जो रोड सेफ्टी क्लब का प्रमुख होगा।
2. क्लब के अन्तर्गत संचालित होने वाली समस्त सड़क सुरक्षा गतिविधियों के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा।
3. प्रोग्राम ऑफिसर/संकाय समन्वयक को रिपोर्ट करना।
4. प्रोग्राम ऑफिसर/संकाय समन्वयक के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सड़क सुरक्षा क्लबों की योजना तैयार करना।
5. ग्रुप के सभी सदस्यों का ध्यान रखते हुए टीम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना।

(C) Domain -II (Vice President)

डोमेन प्रमुख के रूप में प्री फाईनल वर्ष (द्वितीय वर्ष) के छात्र द्वारा क्लब के अन्तर्गत संचालित निम्न उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा। एक रोड सेफ्टी क्लब में 4-5 से डोमेन प्रमुख होंगे:-

- क्रियेटिव डोमेन
- लॉजिस्टिक्स डोमेन
- पब्लिसिटी डोमेन

समस्त डोमेन प्रमुख अपने-अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए टीम लीडर (अध्यक्ष) को रिपोर्ट करेंगे।

(D) Executive (Secretary)

स्नातक (प्रथम वर्ष) के छात्र की भूमिका सचिव के रूप में कार्य करेंगे। एक रोड सेफ्टी क्लब में 08-10 से कार्यकारी सचिव होंगे।

- 1- समस्त कार्यकारी सचिव अपने संबंधित विभाग में डोमेन प्रमुखों की सहायता करेंगे।
- 2- क्लब के अन्तर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों/बैठकों आदि से संबंधित नियमित घोषण संबंधी कार्य करेंगे।
- 3- कार्यक्रमों से संबंधित समस्त कार्यवाही (Paper work assignment) पूर्ण करेंगे।
- 4- प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण लिखना।
- 5- अभिलेखों का अनुश्रवण।
- 6- पत्र व्यवहार करना।
- 7- कार्यक्रम का संचालन करना।
- 8- बैठकों को आहूत करना।
- 9- दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करना।

सड़क सुरक्षा क्लब के अंतर्गत मासिक गतिविधियों की रूप रेखा—

माह सितम्बर—

- रोड सेफ्टी क्लबों के गठन हेतु महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों का चयन किया जाना।

माह अक्टूबर—

- वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन।
- रैली का आयोजन।
- स्वयं सेवियों के माध्यम से स्लम एरियाज (मलिन बस्ती) एवं अभिग्रहीत ग्रामों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम।
- शहरों के प्रमुख चौराहों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।

माह नवम्बर—

- पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन।
- परिवहन विभाग द्वारा नामित संस्था/विशेषज्ञ के माध्यम से प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम का आयोजन (फर्स्ट रिस्पांडर ट्रेनिंग, डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं प्राथमिक चिकित्सा एवं सीपीआर)।
- चयनित 25 सदस्यों के माध्यम से शहरों व कैम्पों में सर्वे कार्यक्रम का आयोजन।

माह दिसम्बर—

- प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत चयनित स्वयं सेवी द्वारा अपने संस्था के आस-पास 01 किमी परिक्षेत्र के अंतर्गत निरीक्षण किया जाना—
(क) यातायात चिन्हों का अध्ययन करना।
(ख) मार्गों पर गड़बड़ों की रिपोर्टिंग।
(ग) रोड मार्किंग गति अवरोधक आदि पर सर्वे करना।
- निबन्ध एवं भाषण प्रतियोगिता।
- मलिन बस्ती एवं अभिग्रहीत गाँवों में रैली एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम।

माह जनवरी—

- रोड सेफ्टी सेशन एवं रोड सेफ्टी सर्वे का आयोजन।
- पोस्टर /रंगोली/विज प्रतियोगिता का आयोजन।
- प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम।
- व्यावहारिक कार्यावन्धन।

माह फरवरी—

- सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियम तथा अनुपालन न किये जाने पर दिये जाने वाले दण्ड/जुर्माने आदि को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनमानस को जागरूक करना।
- जनपद के 03 उत्कृष्ट क्लबों को सम्मानित किया जाना (पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करना।)